न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी लूणी

पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया– आर.ए.एस.

राजस्व मूल वाद संख्या 140/2009

वादी		प्रतिवादीगण
1– दलाराम पुत्र सांवलराम जाति पटेल साकिन धवा, तहसील लूणी जिला जोधपुर	बनाम	1– मुगनाराम उर्फ मुकनाराम पुत्र सगता राम के कायम–मुकाम 1/1 गंगा पत्नि मुगनाराम, 2/2 अचलाराम पुत्र मुकनाराम दोनों जातियान् पटेल निवासी ग्राम धवा तहसील झंवर 2– रामाराम पुत्र जैरूपराम 3– चिमनाराम पुत्र जैरूपराम 4– ककू पत्नि जैरूपराम 5– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार झंवर 6– भीखाराम जायन्दा पुत्र सगताराम गोद पुत्र पुराराम जाति पटेल निवासी ग्राम धवा तहसील झंवर

वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

उपस्थितिः–

01. वादी की ओर से अधिवक्ता श्री बाबुलाल विश्नोई
02. प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री बेनाराम पटेल

आदेश **दिनांकः** 02-7-2025

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53,88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.08.2006 को किया गया एवं तहसीलदार झंवर को बंटवाड़ा प्रस्ताव हेतु कमिश्नर नियुक्त किया गया तहसीलदार झंवर के माफिक प्राथमिक डिक्री पक्षकरान् के मध्य नियमानुसार अपनी रिपोर्ट मय बंटवाड़ा प्रस्ताव दिनांक 09.06.2025 को पेश किया।

वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा ग्राम राजेश्वर नगर के खसरा संख्या 340, 341, 342, 344, 345, 346, 347, 775, 776, 777, 778 कुल रकबा 113 बीघा 17 बिस्वा भूमि मे नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज है तहसीलदार झंवर द्वारा प्रेषित बंटवाड़ा प्रस्ताव दिनांक 09.06. 2025 मय मौका फर्द दिनांक 05.06.2025 को पेश की गई जिसके आधार पर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्ताव पेश किया जो संलग्न पत्रावली है । इनके अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्सानुसार प्रस्तावित बंटवाड़ा प्रस्ताव निम्नानुसार हैः–

क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा (हैक्टर में)	किस्म
01.	दलाराम पुत्र श्री सांवलराम जाति पटेल सा. देह खातेदार	340	2.0315	बारानी तृतीय
		341	0.5666	बारानी तृतीय
		775	1.5864	बारानी तृतीय

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी, लूणी

		776	0.2347	बारानी तृतीय
		योग–4	4.4192	बारानी तृतीय
02.	गंगा पत्नि मुगनाराम, अचलाराम पुत्र मुकनाराम दोनों जातियान् पटेल निवासी ग्राम धवा तहसील झंवर	340	2.7923	बारानी तृतीय
		342	0.1457	बारानी तृतीय
		775	1.4973	बारानी तृतीय
		344	1.6309	बारानी तृतीय
		योग–4	6.0662	बारानी तृतीय
03.	रामाराम पुत्र जैरूपराम , चिमनाराम पुत्र जैरूपराम, ककू पत्नि जैरूपराम	341	2.3552	बारानी तृतीय
		346	0.4937	बारानी तृतीय
		347	0.7608	बारानी तृतीय
		777	1.8858	बारानी तृतीय
		778	0.6070	बारानी तृतीय
		योग–5	6.1025	बारानी तृतीय

उक्त बंटवाड़ा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया जाने पर दोनों पक्षकाराण सहखातेदार होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण का बंटवाड़ा स्वीकार कर अंतिम डिक्री पारित किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत् बंटवाड़ा प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार झंवर को आदेश दिया जाता है कि बंटवाड़ा प्रस्ताव मौका फर्द दिनांक 05.06.2025 के अनुसार विभाजन कर वादी एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा राजस्व रेकर्ड में अलग से बट्टा नम्बर दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे तथा राजस्व नक्शे में तरमीम इन्द्राज करें। बंटवाड़ा प्रस्ताव एवं मौका फर्द दिनांक 05.06.2025 डिक्री का अभिन्न अंग समझा जावे डिक्री पर्चा जारी हो तहसीलदार झंवर को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर लूणी
सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी
पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या : 84/2001

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1– दलाराम पुत्र सांवलराम जाति पटेल साकिन धवा, तहसील लूणी जिला जोधपुर		1– मुगनाराम उर्फ मुकनाराम पुत्र सगता राम के कायम–मुकाम 1/1 गंगा पत्नि मुगनाराम, 2/2 अचलाराम पुत्र मुकनाराम दोनों जातियान् पटेल निवासी ग्राम धवा तहसील झंवर 2– रामाराम पुत्र जैरूपराम 3– चिमनाराम पुत्र जैरूपराम 4– ककू पत्नि जैरूपराम 5– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार झंवर 6– भीखाराम जायन्दा पुत्र सगताराम गोद पुत्र पुराराम जाति पटेल निवासी ग्राम धवा तहसील झंवर

दावा अंतर्गत धारा 53, 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 मुकदमा नम्बर 140/2009 यह आज मुकदमा वास्ते इनकिलास किलई रू–ब–रू हमारे बहाजरी वादी मिनजानिब मुदई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती हैं कि

अतः आदेश है कि वादीगण का वाद वास्ते खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् पेश हुआ। उक्त वाद स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार लूणी बंटवाड़ा मौका फर्द दिनांक 05.06.2025 के अनुसार विभाजन कर वादी एवं प्रतिवादीगण का राजस्व रेकर्ड मे अलग–अलग हिस्सा बट्टा नम्बर तथा तरमीम दर्ज करें। करें। बंटवाड़ा प्रस्ताव एवं मौका फर्द दिनांक 05.06.2025 डिक्री का अभिन्न अंग समझा जावे एवं तहसीलदार झंवर को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

नीज................................मुबलिक...........................बाबत.............................खर्चा इस मुकुदमें के मय सूद व वगैरह...................................फीसदी सालाना आज की तारीख व तारीख वसुलयाबी तक..को अदा करें।

बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 02.07.2025 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

मुद्दाई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान			स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान		

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी